फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)

वित्तीय वर्ष 2024-25

अनुदान संख्या व नाम : 43-परिवहन विभाग (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) **(राजस्व पक्ष)**	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग
1	2	3	4	5	6
3055 00 001 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन -03-अधिष्ठान व्यय- 03-मंहगाई भत्ता	8208.75	185.79	185.79	185.79	8022.96
योग-	**8208.75**	**185.79**	**185.79**	**185.79**	**8022.96**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) **(राजस्व पक्ष)** अनुदान संख्या-43	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2059 01 051 03 00 2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण- 03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव-00 29-अनुरक्षण	500.00	685.79	185.79	185.79	685.79
योग -	**500.00**	**685.79**	**185.79**	**185.79**	**685.79**

(1) बचत के कारण निम्नानुसार है :-

परिवहन अधिष्ठान की मद संख्या-03-मंहगाई भत्ता में बचत कतिपय कामिकों के सेवानिवृत्त होने व कार्मिकों की भर्ती न हो पाने के कारण।

(2) व्यायाधिक्य के कारण निम्नानुसार हैं :-

परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 10.11.2023 द्वारा प्रेषित आय-व्ययक अनुमान 2024-25 के प्रस्ताव में परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 10.11.2023 द्वारा प्रेषित आय-व्ययक अनुमान 2024-25 के प्रस्ताव में परिवहन आयुक्त संगठन के शासकीय भवनों में स्थापित परिवहन कार्यालयों की रंगाई-पुताई, मरम्मत, कार्यालय परिसर में इण्टरलाकिंग आदि कार्यों हेतु इस योजना की मद संख्या 29 अनुरक्षण में धनराशि रू 910.00 लाख का बजट प्रस्तावित किया गया, किन्तु किन्ही कारणोवश इस मद में रू 500.00 लाख मात्र का बजट प्राविधान स्वीकृत हो पाने के कारण।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रु 500.00 लाख के सापेक्ष शासन द्वारा रू 482.17 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत की जा चुकीं हैं। मात्र रू 17.83 लाख का बजट अवशेष है, जबकि कार्यालय के पत्र दिनांक 10.03.2025 एवं दिनांक 17.03.2025 द्वारा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आगरा हेतु रू 14.75 लाख, गाजियाबाद हेतु रू 20.79 लाख, सीतापुर हेतु रु 148.19 लाख तथा प्रदेश मुख्यालय हेतु रु 19.89 लाख अर्थात कुल रू 203.62 लाख की आवश्यकता दर्शायी गयी है। इस प्रकार आवश्यक धनराशि रू 203.62 लाख में से उपलब्ध बजट रू 17.83 लाख को कम करते हुये रू 185.79 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर.ई. संख्या-बजट-1-811, दिनांक 27.03.2025

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग।

ह0/-
(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक,
वित्त विभाग,
उ०प्र०शासन।

संख्या-15/2025/719 /तीस-3-2025, दिनाँक 28 मार्च , 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव,
परिवहन विभाग।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in